## India TV

# 27 illegal madrasas under scanner in Madhya Pradesh for alleged conversion racket, NHRC seeks report

https://www.indiatvnews.com/madhya-pradesh/27-illegal-madrasas-under-scanner-in-for-alleged-conversion-racket-over-500-hindu-children-being-taught-quaran-nhrc-seeks-report-2025-10-01-1010825

October 01, 2025 8:17 IST Anurag Roushan

The NHRC has issued a notice to the Madhya Pradesh government following allegations that 27 madrasas are involved in the forced religious conversion of 556 Hindu children. The commission has demanded a report within 15 days.

Bhopal: A major controversy has erupted in Madhya Pradesh after allegations surfaced that more than 500 Hindu children were being forced to study the Quran and pressured to convert to Islam in several illegal madrasas in the state. The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of the matter and has sought a detailed report from the state government within 15 days. According to complaints, several madrasas in the state are allegedly compelling non-Muslim children to study the Quran while creating pressure to adopt Islam.

NHRC, acting on these allegations, has directed the Principal Secretary of the School Education Department to conduct an inquiry. NHRC member Priyank Kanoongo confirmed that the commission received a complaint on September 26, claiming the existence of an organised religious conversion racket in Madhya Pradesh.

How were non-Muslim children admitted to Madrasas?

The NHRC has raised serious questions about the admission of non-Muslim children in madrasas operating without government approval. Districts including Bhopal, Hoshangabad, Jabalpur, Jhabua, Dhar, Barwani, Khandwa, Khargone and Parasia have been specifically identified. The commission pointed out that as per the Juvenile Justice Act, 2015, and Article 28(3) of the Constitution, imparting religious education without approval is prohibited. It has instructed the government to immediately remove such children from these institutions and register FIRs against unapproved madrasas.

Alleged racket targeting Hindu children

The complaint received by the NHRC alleged that a total of 27 madrasas across Madhya Pradesh are part of the racket. These madrasas are accused of targeting 556 Hindu children and subjecting them to religious indoctrination. The matter has triggered a strong debate in the state with demands for strict action against those responsible.

**India TV**

# 556 हिंदू बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही कुरान, MP के 27 मदरसों में धर्मांतरण की तैयारी? मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

https://www.indiatv.in/amp/madhya-pradesh/556-children-in-27-madrasas-are-being-targeted-for-conversion-nhrc-issues-notice-to-govt-2025-10-01-1166185

Oct 01, 2025 6:52 IST, Khushbu Rawal

मध्य प्रदेश के 27 अवैध मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जहां मदरसों में 500 से ज्यादा हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने और इस्लाम अपनाने के लिए दवाब बनाने का मामला सामने आया है।

मध्य प्रदेश के 27 अवैध मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जहां मदरसों में 500 से ज्यादा हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने और इस्लाम अपनाने के लिए दवाब बनाने का मामला सामने आया है। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण रैकेट पर राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।

मदरसों में धर्मांतरण विवाद क्या है?

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को जबरदस्ती कुरान पढ़ाई जा रही है और धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत मिली हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का गिरोह सक्रिय है।

मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों का दाखिला कैसे?

NHRC का कहना है कि ज्यादातर मदरसे बिना सरकारी अनुमति के संचालित हो रहे हैं। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और परासिया जिलों के कई मदरसों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। NHRC ने सवाल उठाया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को इन मदरसों में दाखिला कैसे मिल रहा है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और संविधान के अनुच्छेद 28(3) के तहत बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है। आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बच्चों को तत्काल हटाया जाए और बिना मंजूरी चल रहे मदरसों पर FIR दर्ज की जाए।

हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप

बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बीते 26 सितंबर को एक शिकायत मिली थी जिसमें मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया

है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल 27 मदरसे इस रैकेट में शामिल हैं। इन मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है।

**The Week**

## Dominican authorities arrest 11 police officers in rare move following killing of 5 suspects

https://www.theweek.in/wire-updates/international/2025/10/01/fes40-drepublic-police-arrest.amp.html

October 01, 2025 22:32 IST PTI

Santo Domingo(Dominican Republic), Oct 1 (AP) Authorities in the Dominican Republic have detained 11 police officers following the killing of five suspected criminals during a police operation last month.

The arrests, made on Tuesday, are unusual in a country where police and military largely operate with impunity.

Among those detained are a police captain and two sergeants. They are expected to appear in court on Wednesday or Thursday. They have not been charged.

The killings occurred on September 10 in Santiago de los Caballeros, one of the Dominican Republic's biggest cities.

Police have accused the suspects of opening fire on officers first, adding that the victims were members of a gang suspected of kidnappings, drug trafficking and contract killings.

However, friends and family have disputed police accounts, noting that one of the suspects killed was a well-known barber in the community.

The killings sparked protests, and human rights groups demanded an investigation.

According to records from the National Human Rights Commission, more than 150 extrajudicial executions have occurred so far in 2025, surpassing the 80 recorded in 2024 in the country of nearly 11 million people.

The Office of the Attorney General is responsible for investigating police shootings, but activists note that doesn't always happen, and reports of their findings aren't always made public.

**The Print**

## India's dementia care relies on informal workers. We need a registry to validate their skills

https://theprint.in/feature/around-town/india-dementia-care-informal-workers-registry/2755125/

01 October, 2025 03:37 pm IST Sakshi Mehra

Over 8 million Indians are currently living with dementia. But caregiving for the disorder is neither well-paid nor respected.

New Delhi: India is ageing. And the dreaded D-word is becoming a household worry. Tackling dementia is a challenge, especially in a culture where the practice of institutional care for the elderly isn't the norm.

"India is an ageing-at-home country, and the goal isn't more institutions—it's keeping people out of them. That means focusing on prevention, long-term care, and strengthening support at home," said Asheesh Gupta, founder and CEO, Samarth Elder-Care, at New Delhi's India International Centre.

He was part of a panel at the National Consultative Meet on Dementia Strategy, organised by The Institute of Human Behaviour and Allied Sciences and Dementia India Alliance (DIA). The National Human Rights Commission and the National Institute of Social Defence also collaborated on the event.

The panel also featured Jayashree Dasgupta, co-founder of Samvedna Senior Care, Renu Vohra, Member Secretary at Alzheimer's and Related Disorders Society of India (ARDSI), Pavitra Gangadharan and S Premkumar Raja, co-founders of DIA; and Anshu Verma, AGM, Healthcare Sector Skill Council. It was moderated by Sridhar Vaitheswaran, co-founder, Dementia India Alliance.

One of the discussions, titled 'Supporting Caregivers and Strengthening Systems', consisted of voices from the ground—caregivers, clinical psychologists, healthcare planners, and training experts. They stressed that while medical solutions are still in the evolution phase, care remains the foundation.

"The real opportunity lies in upgrading those already involved—family members, attendants, community health workers. They don't all need degrees; with the right guidance, they can make a real difference. We don't need to reinvent the wheel—just demystify care and scale what already works," Gupta said.

Training, certification, career pathways

Over 8 million Indians are currently living with dementia. But caregiving for the disorder is neither well-paid nor respected. That must change if it has to become a lasting profession.

“A person joins as a care worker, and that’s where they are stuck for most of their life. There needs to be a structure that gives them hope that they can rise through the ranks. Whether that’s through additional training, certification, or leadership roles, it must be made possible,” said Vaitheswaran.

According to Raja, the answer is in simplifying licensing, offering land at concessional rates to caregiving facilities, and creating a structured career pathway.

“We need to build an ecosystem that supports caregiving services through public-private partnerships. We need to provide subsidies and training support to service providers who are actually doing the work on the ground,” he said.

The human cost of the broken system is already visible. Gangadharan, who runs residential care services, noticed that young people come out of short government-run courses thinking they are ready. But when they realise what caregiving actually looks like—changing a diaper, feeding someone who can’t speak—they tend to back pedal.

“We don’t have systems for reinforcement or ongoing support. We need long-term, practical, and emotionally intelligent training—not just theory,” she said.

India lacks a consistent, nationwide approach to dementia care training. This would include not just structured course content, but also ensuring that the training institutions, assessment methods, and certification processes meet common standards and align with the National Credit Framework.

Many caregivers acquire skills on the job, but lack a formal credential to show for it. Verma urged that such skills be validated rather than forcing individuals to start from zero.

Ecosystem and policy

While dementia awareness is vital, the panellists stressed that recognising and supporting informal carers is equally urgent.

“Thousands are caring for people with dementia without any official training,” Verma said. “They’ve learned everything by observing, doing, and being present. Forcing them to start from scratch is unfair.”

She called for a robust Recognition of Prior Learning (RPL) system to formally validate the skills of informal carers, along with the creation of a national caregiver registry—much like those for doctors or nurses. “A registry brings transparency and safety for

both caregivers and employers, while giving caregivers a sense of professional identity and pride," she added.

Verma also highlighted the lack of safeguards for caregivers. She mentioned a caregiver who had asked her on a field visit how she was supposed to stay safe: "I am certified, but how do I know if the person I care for has HIV, TB, or pneumonia? Who's protecting me when I go home to my kids?"

The picture is changing, however. Community-based models are already filling critical gaps. Vohra explained how ARDSI conducts outreach in senior groups, schools, and resident welfare associations. Once families understand dementia, they reach out to ARDSI's helpline and are then guided toward diagnosis at hospitals like AIIMS.

And diagnosis is just the beginning.

"Most families come to us when the condition is already advanced. That's when our real work begins—counselling, linking them to care centres, and supporting them long-term," Vohra said.

With only 20 ARDSI chapters across the country, she stressed the need for government intervention, particularly to support rural areas where services are scarce.

**Op India**

## NHRC takes notice of over 500 Hindu children being taught Quran in 27 Madrasas of MP, asks state for response within 15 days

https://www.opindia.com/news-updates/nhrc-probes-complaint-of-hindu-children-targeted-for-conversion-in-mp/

October 1, 2025 | 5:06 PM

A major controversy has erupted in Madhya Pradesh after a complaint about an illegal religious conversion racket involving Hindu children studying in madrasas reached the National Human Rights Commission (NHRC). The complaint claimed that around 556 Hindu children in 27 madrassas across MP are being targeted for conversion to Islam.

Taking note of the seriousness of the charges, the NHRC has asked the Principal Secretary of the state's School Education Department to submit a reply within 15 days. It has also directed that an FIR be registered in the case.

According to the media reports, the complaint pointed out that these madrasas, located in areas such as Morena, Islampura and Jaura, were violating the Juvenile Justice Act, 2015. The Commission, in its letter, has raised the question that madrasas are outside the purview of the Right to Education Act (RTE), yet why are Hindu children being admitted there. The complainant has also made serious allegations of illicit foreign funding and belonging to anti-national elements on these madrasas.

Talking on the issue, NHRC member Priyank Kanungo stated that madrasas cannot be equated to schools because they are mostly religious institutions and not institutions of formal education.

He further said that Hindu kids in such madrasas were being taught the Quran, which is a very serious issue. Kanungo added that "this is a blatant violation of Article 283 of the Indian Constitution, and if this is happening with government funding, the state government must take action against these erring officials…"

**DD News**

# ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम बिक रहे तंबाकू उत्पाद, NHRC ने मांगा जवाब

https://ddnews.gov.in/tobacco-products-being-sold-openly-on-e-commerce-platforms-nhrc-seeks-response/

1 Oct 2025

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए धूम्रपान से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर गंभीर चिंता जताई है। इस संबंध में 23 सितंबर को दर्ज की गई शिकायत को आयोग ने 26 सितंबर को संज्ञान में लिया और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया।

शिकायत में कहा गया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो और अन्य पर खुलेआम रोलिंग पेपर्स, फिल्टर टिप्स, क्रशिंग ट्रे और अन्य धूम्रपान से जुड़े उपकरण आसानी से उपलब्ध हैं। इन प्लेटफार्म पर उम्र सत्यापन की व्यवस्था बेहद कमजोर है, जिसमें केवल '18 वर्ष से ऊपर' का बॉक्स टिक करने से ही उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। इसका फायदा उठाकर नाबालिग भी इन खतरनाक उत्पादों तक पहुंच बना रहे हैं।

एक गंभीर आरोप यह भी है कि इन उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी तक नहीं दी जाती, जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 कानून और उसके संशोधनों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा, ऑनलाइन प्रचार-प्रसार तंबाकू के अप्रत्यक्ष विज्ञापन के दायरे में आता है, जो कानूनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

शिकायतकर्ता संगठन 'नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन' ने बताया कि यह प्रथा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा भी है। साथ ही, आईटी अधिनियम 2000 और इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती है।

मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग की बेंच (जिसकी अध्यक्षता माननीय सदस्य प्रियांक कानूंगो ने की) ने शिकायत को मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला माना है। आयोग ने उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले की जांच कराने और चार हफ्तों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया है।

साथ ही, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में यह जानकारी भी शामिल की जाए कि क्या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी इसी तरह के तरीकों से ऐसे उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं।

**Janta se Rishta**

# ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धूम्रपान से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

https://jantaserishta.com/national/nhrc-seeks-report-on-sale-of-smoking-related-products-on-e-commerce-platforms-4295677

1 Oct 2025 12:11 PM

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए धूम्रपान से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर गंभीर चिंता जताई है। इस संबंध में 23 सितंबर को दर्ज की गई शिकायत को आयोग ने 26 सितंबर को संज्ञान में लिया और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया।

शिकायत में कहा गया है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो और अन्य पर खुलेआम रोलिंग पेपर्स, फिल्टर टिप्स, क्रशिंग ट्रे और अन्य धूम्रपान से जुड़े उपकरण आसानी से उपलब्ध हैं। इन प्लेटफार्म पर उम्र सत्यापन की व्यवस्था बेहद कमजोर है, जिसमें केवल '18 वर्ष से ऊपर' का बॉक्स टिक करने से ही उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। इसका फायदा उठाकर नाबालिग भी इन खतरनाक उत्पादों तक पहुंच बना रहे हैं।

एक गंभीर आरोप यह भी है कि इन उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी तक नहीं दी जाती, जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 कानून और उसके संशोधनों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा, ऑनलाइन प्रचार-प्रसार तंबाकू के अप्रत्यक्ष विज्ञापन के दायरे में आता है, जो कानूनन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

शिकायतकर्ता संगठन 'नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन' ने बताया कि यह प्रथा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा भी है। साथ ही, आईटी अधिनियम 2000 और इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती है।

मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग की बेंच (जिसकी अध्यक्षता माननीय सदस्य प्रियांक कानूंगो ने की) ने शिकायत को मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला माना है। आयोग ने उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले की जांच कराने और चार हफ्तों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया है।

साथ ही, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में यह जानकारी भी शामिल की जाए कि क्या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी इसी तरह के तरीकों से ऐसे उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं।

**India TV**

# 556 हिंदू बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही कुरान, MP के 27 मदरसों में धर्मांतरण की तैयारी? मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

https://www.indiatv.in/madhya-pradesh/556-children-in-27-madrasas-are-being-targeted-for-conversion-nhrc-issues-notice-to-govt-2025-10-01-1166185

Oct 01, 2025 6:52 IST, Khushbu Rawal

मध्य प्रदेश के 27 अवैध मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जहां मदरसों में 500 से ज्यादा हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने और इस्लाम अपनाने के लिए दवाब बनाने का मामला सामने आया है।

मध्य प्रदेश के 27 अवैध मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जहां मदरसों में 500 से ज्यादा हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने और इस्लाम अपनाने के लिए दवाब बनाने का मामला सामने आया है। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण रैकेट पर राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।

मदरसों में धर्मांतरण विवाद क्या है?

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को जबरदस्ती कुरान पढ़ाई जा रही है और धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत मिली हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का गिरोह सक्रिय है।

मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों का दाखिला कैसे?

NHRC का कहना है कि ज्यादातर मदरसे बिना सरकारी अनुमति के संचालित हो रहे हैं। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और परासिया जिलों के कई मदरसों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। NHRC ने सवाल उठाया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को इन मदरसों में दाखिला कैसे मिल रहा है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और संविधान के अनुच्छेद 28(3) के तहत बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है। आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बच्चों को तत्काल हटाया जाए और बिना मंजूरी चल रहे मदरसों पर FIR दर्ज की जाए।

हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप

बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बीते 26 सितंबर को एक शिकायत मिली थी जिसमें मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया

है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल 27 मदरसे इस रैकेट में शामिल हैं। इन मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है।

**Zee News**

# ऑनलाइन धड़ल्ले से बिकते हैं धूम्रपान से जुड़े उत्पाद, NHRC ने जताई चिंता, बिक्री पर मांगी रिपोर्ट

https://zeenews.india.com/hindi/india/nhrc-issues-concern-on-sale-of-smoking-products-on-onile-e-commerce-platforms/2943442

Oct 01, 2025, 01:12 PM IST

Smoking Products Sale: हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की ओर से ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुलेआम धूम्रपान से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर गंभीर चिंता जताई है.

Smoking Products Ban: नशे का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है. इसकी लत लगने पर व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ सकता है. हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए धूम्रपान से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर गंभीर चिंता जताई है. इस संबंध में 23 सितंबर 2025 को दर्ज की गई शिकायत को आयोग ने 26 सितंबर 2025 को संज्ञान में लिया और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के सेक्शन 12 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया.

NHRC ने जताई चिंता

शिकायत में कहा गया है कि ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुलेआम रोलिंग पेपर्स, फिल्टर टिप्स, क्रशिंग ट्रे और अन्य धूम्रपान से जुड़े उपकरण आसानी से उपलब्ध हैं. इन प्लेटफार्म पर उम्र सत्यापन की व्यवस्था बेहद कमजोर है, जिसमें केवल 18 वर्ष से ऊपर का बॉक्स टिक करने से ही उत्पाद खरीदे जा सकते हैं. इसका फायदा उठाकर नाबालिग भी इन खतरनाक उत्पादों तक पहुंच बना रहे हैं.

धड़ल्ले से बिकते हैं नशीले उत्पाद

एक गंभीर आरोप यह भी है कि इन उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी तक नहीं दी जाती, जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 कानून और उसके संशोधनों का सीधा उल्लंघन है. इसके अलावा ऑनलाइन प्रचार-प्रसार तंबाकू के अप्रत्यक्ष विज्ञापन के दायरे में आता है, जो कानूनन पूरी तरह प्रतिबंधित है. शिकायतकर्ता संगठन 'नेटवर्क फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन' ने बताया कि यह प्रथा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा भी है। साथ ही, IT अधिनियम 2000 और इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के तहत भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती है.

रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया

मामले पर सुनवाई करते हुए प्रियांक कानूंगो की बेंच ने शिकायत को मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला माना है. आयोग ने उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले की जांच कराने और 4 हफ्तों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में यह जानकारी भी शामिल की जाए कि क्या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी इसी तरह के तरीकों से ऐसे उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं. (इनपुट- IANS)

FAQ

NHRC ने क्या कदम उठाया है?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर धूम्रपान से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर गंभीर चिंता जताई है और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

किन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगाए गए हैं?

ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान से जुड़े उत्पादों की बिक्री के आरोप लगाए गए हैं.

**Prabha Sakshi**

## मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में 500 हिंदू बच्चों का दाखिला हुआ, धर्मांतरण की साजिश? NHRC ने एमपी सरकार से मांगी रिपोर्ट

https://www.prabhasakshi.com/national/500-hindu-children-enrolled-in-27-madrasas-in-madhya-pradesh-nhrc-want-report-from-government

Oct 1 2025 8:54AM Renu Tiwari

मध्य प्रदेश में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है जब आरोप सामने आए हैं कि राज्य के कई अवैध मदरसों में 500 से ज़्यादा हिंदू बच्चों को जबरन कुरान पढ़ने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

मध्य प्रदेश में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है जब आरोप सामने आए हैं कि राज्य के कई अवैध मदरसों में 500 से ज़्यादा हिंदू बच्चों को जबरन कुरान पढ़ने और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस मामले का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शिकायतों के अनुसार, राज्य के कई मदरसे कथित तौर पर गैर-मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहे हैं।

मध्य प्रदेश में 500 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण पर एनएचआरसी सख्त

एनएचआरसी ने इन आरोपों पर कार्रवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को जाँच करने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने पुष्टि की है कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत मिली थी जिसमें मध्य प्रदेश में एक संगठित धर्मांतरण रैकेट के अस्तित्व का दावा किया गया था।

मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों का प्रवेश कैसे हुआ?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिना सरकारी अनुमति के चल रहे मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों के प्रवेश पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और परासिया जिलों की विशेष रूप से पहचान की गई है। आयोग ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और संविधान के अनुच्छेद 28(3) के अनुसार, बिना अनुमति के धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है। आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बच्चों को तुरंत इन संस्थानों से हटाया जाए और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी ज़िलों में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले चिंता जनक

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी ज़िलों में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले पर चिंता जताई। कानूनगो के अनुसार, लगभग 500 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाएँ पढ़ाई जा रही हैं, जिससे उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने की साज़िश के आरोप लग रहे हैं। कानूनगो ने एएनआई को बताया, "हमें मुरैना और शिवपुरी, मध्य प्रदेश में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में लगभग 500 हिंदू बच्चों के दाखिले की शिकायतें मिलीं... शिकायतकर्ता ने कुरान और उससे जुड़े विषयों को पढ़ाकर हिंदू बच्चों का धर्मांतरण कराने की साज़िश का आरोप लगाया है। हमने यह शिकायत मध्य प्रदेश सरकार को जाँच के लिए भेज दी है।"

कानूनगो ने ज़ोर देकर कहा कि हिंदू बच्चों का मदरसों में दाखिला नहीं होना चाहिए और मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों का भी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिला होना चाहिए। "हमारी मुख्य चिंता: हिंदू बच्चों को मदरसों में नहीं जाना चाहिए। अगर मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते भी हैं, तो उन्हें अपनी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूल भी जाना चाहिए... इसलिए, यह स्पष्ट रूप से समझना ज़रूरी है कि मदरसे बच्चों को शिक्षित करने की जगह नहीं हैं। अगर मदरसे में मुस्लिम बच्चे भी हैं, तो उन्हें मदरसे की शिक्षा जारी रखते हुए स्कूल में दाखिला दिया जाना चाहिए,"

एनएचआरसी सदस्य ने दावा किया कि यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28-3 का घोर उल्लंघन है, जो पूरी तरह से सरकारी धन से संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। कानूनगो ने मदरसों के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरोप सही हैं, तो राज्य सरकार को ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 का घोर उल्लंघन है, और अगर यह सरकारी धन से हो रहा है, तो राज्य सरकार को इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए...।"

एनएचआरसी ने शिकायत को जाँच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया है। कानूनगो ने शिक्षा में मदरसों की भूमिका पर स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया और ज़ोर दिया कि इन संस्थानों को औपचारिक स्कूली शिक्षा का स्थान नहीं लेना चाहिए। एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आरोपों की जाँच करने और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट माँगी है। एनएचआरसी को 26 सितंबर को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक सुसंगठित अवैध धर्मांतरण गिरोह चल रहा है, जो 556 हिंदू बच्चों को 27 अनधिकृत मदरसों में दाखिला दिलाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के इरादे से निशाना बना रहा है।

शिकायत में आगे कहा गया है, "शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य इलाकों में स्थित ये मदरसे, किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए, बिना उचित सरकारी अनुमति के हिंदू नाबालिगों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) और 16 अगस्त, 2024 के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का उल्लंघन है, जो गैर-इस्लामिक बच्चों को इस्लामी मदरसों में पढ़ने से रोकता है।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस रैकेट में अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकते हैं और एक साल बीत जाने के बावजूद, सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।" शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग के हस्तक्षेप की माँग की है और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे एक प्राथमिकी दर्ज करें, प्रभावित बच्चों को बचाएँ, मदरसा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बहु-एजेंसी उच्च-स्तरीय जाँच करें। पत्र में कहा गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

**Janta se Rishta**

## मुरैना-शिवपुरी में हिंदू बच्चों का मदरसों में दाखिला, एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस

https://jantaserishta.com/others/nhrc-issues-notice-to-madhya-pradesh-government-over-admission-of-hindu-children-in-madrasas-in-morena-shivpuri-4295235

1 Oct 2025 8:17 AM

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिले में हिंदू बच्चों को मदरसों में दाखिला देकर कुरान और हदीस पढ़ाने का मामला गरमा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इसे गंभीर उल्लंघन बताते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह संगठित धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। आयोग को मिली शिकायत में आरोप है कि मुरैना में 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को दाखिला देकर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 और संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है, जो बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।

एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा, "मदरसे मान्यता प्राप्त शिक्षा केंद्र नहीं हैं। ऐसे में हिंदू बच्चों का दाखिला इनमें उचित नहीं है। संविधान की धारा 21(ए) हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देती है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है। किसी भी धर्म के बच्चों को जबरदस्ती दूसरे धर्म की शिक्षा देना पूरी तरह गलत है।"

मध्य प्रदेश सरकार के 16 अगस्त 2024 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद यह कथित उल्लंघन हुआ, जिसे कानूनगो ने बच्चों के अधिकारों का हनन बताया। आयोग ने इसे अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई का आधार माना है।

इस बीच, शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) विवेक श्रीवास्तव ने मामले को प्राथमिकता देते हुए जांच शुरू कर दी है। विवेक श्रीवास्तव ने आईएएनएस से कहा, "यह मामला हमारी पहली प्राथमिकता है। जिले के सभी मदरसों की गहन पड़ताल की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी।"

उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में पांच मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जबकि करैरा, दिनारा और नरवर क्षेत्र से तीन नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। डीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मदरसों में छात्रों की धार्मिक पृष्ठभूमि की जांच हो और अवैध दाखिले पर तत्काल रोक लगे।